

राजस्थान सरकार



रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 559/85-86 198 .

यह प्रमाणित किया जाता है कि भारतीय विद्या मन्दिर
समिति, जयपुर जिला जयपुर का
राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान
अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया
गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज
दिनांक 12 माह मार्च सन् एक हजार नौ सौ 20 को
जयपुर में दिया गया।

6/203
जी.एस.शर्मा
रजिस्ट्रार संस्थाएं
जयपुर

राज्य केन्द्रीय मंत्रालय, जयपुर